NOTE FOR PAD

Amount Allocated for Development Works

*57 Sh. Shamsher Singh Gogi (Assandh)

As per the provisions under Sub section (1) of section 3 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 the tenure/ term of the Gram Panchayats got expired on 23 Feb, 2021 except those Gram Panchayats whose tenure/ term of 5 Years was not completed on that day. Therefore, as per Sub section 2 of section 52 of the Act, the Block Development and Panchayats Officers were appointed as Administrator of all the Gram Panchayats in their respective Blocks. These Administrators exercised and performed all the duties of Gram Panchayats after their dissolution. After the 6th General Election of the PRIs, the new elected members of the PRIs took the charge in the month of December, 2022. During this period, various Gram Panchayats of Assandh constituency received an amount of Rs 44.70 Crores from all sources, out of which an amount of Rs. 14.77 Crores was utilized on various development works (list attached).

Central Finance Commission:-

It is a constitutional body constituted under Article 280 of the Constitution of India. Its main responsibility is to evaluate the financial conditions of the Union and the States, to recommend the distribution of taxes between them and to determine the principles for the distribution of these taxes among them. The first Finance Commission was constituted in 1951 and so far fifteen Finance Commissions have been constituted. The State Government receives the Central Grant which is distributed/ released to the Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zilla Parishads respectively in the ratio of 75:15:10 as per the recommendations of the State Finance Commission. According to the 15th Finance Commission, the said grant is being released in the form of Tied and Un-tied Grants in 60:40 ratio respectively. During the period from 24.02.2021 to 02.12.2022, a total of Rs. 9.85 Crores under Central Finance Commission was released to the Gram Panchayats of Assandh Constituency.

Haryana Rural Development Fund Administration Board/ Haryana Gramin Vikas Yojana:-

During the period from 24.02.2021 to 02.12.2022, in **Assandh Constituency,** the HRDFA Board has sanctioned/released funds amounting to **Rs. 1,84,000/-** for the construction of C.C. Street with ILPB Street in **village Jundla** of district **Karnal,** similarly an amount of Rs. 88,35,000/- was sanctioned in Gram Panchayats Paddha & Balah in Assandh Constituency under HGVY.

OWN SOURCE INCOME:-

During the period from 24.02.2021 to 02.12.2022, in Assandh Constituency, out of total 85 Gram Panchayats, 73 Gram Panchayats raised an income of Rs. 33.95 Crores from their own resources.

Scanned with CamScanner

नोट फॉर पैड

विकास कार्यो के लिए आबंटित राशि

*57 श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध)

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत प्रावधानों के मध्यनजर ग्राम पंचायतों की अवधि 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो गई थी, केवल उन ग्राम पंचायतों को छोड़कर जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल उस दिन पूरा नहीं हुआ था। इसी अधिनियम की धारा 52 की उप धारा 2 के अनुसार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को संबंधित खंड की समस्त ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया था। इन प्रशासकों ने ग्राम पंचायतों के विघटन के बाद उनके सभी कर्तव्यों का पालन किया। पंचायती राज संस्थाओं के 6वें आम चुनाव के बाद नव–निर्वाचित सदस्यों ने दिसम्बर, 2022 को कार्यभार ग्रहण किया। इस अवधि के दौरान असंध विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों को 44.70 करोड़ रूपये की राशि सभी स्त्रोतों से प्राप्त हुई थी और इस राशि में से 14.77 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों पर किया गया, जिसकी सूचि साथ सलंग्न है।

केंद्रीय वित्त आयोगः– यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की वितीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतू सिद्धांतो का निर्धारण करना है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था और अब तक पंद्रह वित्त आयोग गठित किये जा चुके है। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों अनुसार राज्य सरकार को केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होता है जिसे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओ के अनुसार 75:15:10 के अनुपात में क्रमशः ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को वितरित/जारी किया जाता है। 15 वें वित्त आयोग अनुसार उक्त अनुदान को 60:40 के अनुपात में बंध व मूल अनुदान (Tied & Untied Grants) के रूप में जारी किया जा रहा है। दिनांक 24.02.2021 से 02.12.2022 की अवधि के दौरान कुल मु0 9.85 करोड़ रूपये की राशि केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत असंध विधानसभा क्षेत्र में जारी की गई है।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड तथा हरियाणा ग्रामीण विकास योजनाः– दिनांक 24.02.2021 से 03.12.2022 की अवधि के दौरान असंध निर्वाचन क्षेत्र में HRDFA बोर्ड के माध्यम से जिला करनाल के गांव जुंडला में गली के निर्माण हेतु मु0 1,84,000/- रूप्ये की धनराशि स्वीकृत/जारी की गयी है। इसी प्रकार असंध विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाढढ़ा व बल्लाह में मु0 88,35,000/–रूप्ये की राशि हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत स्वीकृत की गयी है।

स्वयं का स्रोत आयः– दिनांक 24.02.2021 से 02.12.2022 की अवधि के दौरान, असंध निर्वाचन क्षेत्र में, कुल 85 ग्राम पंचायतों में से, 73 ग्राम पंचायतों ने अपने स्वयं के संसाधनों से 33.95 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की है।

Scanned with CamScanner